— —

न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्याः– 12/14/2026 दायर दिनांक 05/02/2026 रजि0 न0 2026/23

अपीलार्थीः–

श्री राकेश दुटेजा, नि० मालाखेडा बाजार, माता वैष्णों देवी मन्दिर के पीछे, अलवर–301001 (राजस्थान)

प्रत्यर्थीः–

लोक सूचना अधिकारी एवं पदेन सचिव नगर विकास न्यास, अलवर (राजस्थान)

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19 (1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

––:: निर्णय ::––

दिनांकः– 23.02.2026

1. अपीलार्थी उपस्थित, प्रत्यर्थी अनुपस्थित।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा–6 (1) के तहत सूचना आवेदन आर.टी.आई क्रमांक 2121 दिनांक 24.12.2025 के परिपेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराने से व्यथित होकर अपील प्रस्तुत कर सूचना चाही गई।
4. अपील प्राप्त होने पर दर्ज कर वांछित सूचना नही दिये जाने के संबंध मे प्रत्यर्थी से जवाब तलब किया गया एवं अपीलार्थी को नोटिस जारी किया गया कि यदि वह सुनवाई हेतु उपस्थित होना चाहता है तो दिनांक 16.02.2026 को उपस्थित आवें।
5. अपीलार्थी उपस्थित आया तथा प्रत्यर्थी के जवाब पत्र संख्या नविवि/आर0टी0आई0/2026/ 13035 दिनांक 13.02.2026 जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है का प्राप्त हुआ है जिसे अभिलेख पर लिया गया व अपील में उठाये गये तथ्यों–प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपने जवाब में सूचना आवेदन दिनांक 24.12.2025 मे चाही गई सूचना के संबंध में दास्तावेजों की प्रति प्राप्त करने हेतु 400/– रू न्यास कोष में जमा कराने का उल्लेख किया गया है किन्तु आवेदक द्वारा दस्तावेज प्रमाणित प्रति प्राप्त नहीं किये गये।
6. तथापि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 23.02.2026 को न्यायालय समक्ष उपस्थित होकर अवगत कराया कि प्रत्यर्थी के जवाब पत्र क्रमांक 11486 दिनांक 31.12.2025 के जवाब में रसीद क्रमांक 3448 दिनांक 07. 01.2026 को 400/– रू न्यास कोष में जमा करा दिये गये किन्तु प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के सूचना आवेदन में चाही गई बिन्दुवार सूचना के संबंध में एक बिन्दु की अपूर्ण सूचना उपलब्ध कराई गई है एवं शेष तीन बिन्दू की कोई भी प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराना नहीं पाया गया है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।
7. अतः उक्त आलोक मे अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाती है। प्रत्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि अपीलार्थी के आवेदन दिनांक 24/12/2025 के संबंध में वांछित सूचना निर्णय प्राप्ति के 15 दिवस मे पंजीकृत पत्र के माध्यम से सूचना उपलब्ध कराई जावे। निर्णय की प्रमाणित प्रति उभय पक्ष को भिजवाई जावे।
8. आज दिनांक 23.02.2026 को निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज०)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
अपीलीय अधिकारी एवं
जिला कलक्टर, अलवर